अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 245/2012

फुसन पासवान एवं अन्य —— अपीलार्थीगण

वनाम

प्रदीप पासवान —— रेस्पोण्डेन्ट

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 09.06.12 ई० अन्दर भूमि विवाद निराकरण वाद संख्याः 226/11 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी/प्रतिवादी निम्न न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जबाब दाखिल कर कथन किए कि विवादित भूमि खाता संख्याः 114, पूराना खेसरा संख्याः 132, पूराना खाता संख्याः 116, पूराना खेसरा संख्याः 665, नया खाता संख्याः 370, नया खेसरा संख्याः 1649 एवं 1359 की भूमि भूतपूर्व जमींदार की थी एवं भूतपूर्व जमींदार द्वारा अपीलार्थी के परिवार को मौखिक रूप से बन्दोबस्त किए वो अपीलार्थी संख्या 1 के पिता सिमान पासवान और दीपन पासवान पिता रामाकान्त पासवान दखलकार हुए।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि हाल सर्वे में खाता बिहार सरकार के नाम खुल गया इसलिए अपीलार्थीगण एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा धारा 106 बी०टी० एक्ट के तहत एक वाद संख्या–8551/86 दायर किया गया जिसमें दिनांक–30.09.09 को अपीलार्थीगण के पक्ष में आदेश पारित किया गया वो राजस्व पदाधिकारी, सहरसा श्री आर० अहमद द्वारा प्रश्नगत विवादित भूमि पर अपीलार्थी के हक एवं दखल को सम्पुष्ट किया गया बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/वादी का प्रश्नगत विवादित भूमि से कोई सरोकार नहीं रहा वो रेस्पोण्डेन्ट यह अवैधानिक कथन करते हैं कि भूमि का औपबंधिक परवाना बन्दोबस्ती के द्वारा लिया गया है वह जाल, बनावटी वो अवैध है।

रेस्पोण्डेन्ट / वादी औपबंधिक परवाना के आधार पर कभी भी दखलकार नहीं हुए।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि विज्ञ अंचलाधिकारी, महिषी को अपीलार्थी/प्रतिवादी के रैयती भूमि का रेस्पोण्डेन्ट/वादी को औपबंधिक परवाना निर्गत करने का कोई अधिकार नहीं है वो रेस्पोण्डेन्ट कभी भी विवादित भूमि पर औपबंधिक परवाना के आधार पर दखलकार नहीं हुए वो विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा इस वैधानिक बिन्दु पर विचार नहीं किया गया वो अवैधानिक आदेश पारित किया गया बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि विवादित भूमि अस्पष्ट एवं अनिश्चित है वो उसमें चौहद्दी भी नहीं है वो विज्ञ निम्न न्यायालय इस विन्दु पर भी विचार नहीं किया वो आदेश पारित किया जो अवैध एवं विधि विरूद्ध है।

अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन में अंचलाधिकारी, सलखुआ द्वारा निर्गत इनफॉरमेशन स्लिप की छायाप्रति एवं जमाबंदी संख्या 1474 /1968–69 रेंट रिसिप्ट की छाया प्रति दाखिल किए हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/वादी ने मौजा–पस्तवार, थाना नं0– 95 अंचल– महिषी, जिलाः सहरसा के रिविजनल सर्वे खाता 370 खेसरा 1649 रकबा 4 एकड़ 46 डी0 में से रकबा 40 डी0 एवं खेसरा 1359 रकबा 13 डी0 में से रकबा 05 डी0 भूमि को प्रश्नगत विवादी भूमि कायम कर अंचल कार्यालय, महिषी से प्राप्त बन्दोबस्ती परवानगी पर्चा के आधार पर अपने हक एवं दखल को बतलाते हुए निम्न न्यायालय के समक्ष वाद दायर किया था।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करतें हैं कि उपरोक्त खाता नया–370, खेसरा नया–1649, रकवा–4 एकड़ 46 डी० व खेसरा नया–1359, रकवा–13 डी० हाल सर्वे खतियान में अनाबाद बिहार सरकार दर्ज है जो 24 मार्च 1986 ई० को विधिवत प्रकाशित हो चुका है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि वादी के हक व दखल में खेसरा नया–1649, रकवा–40 डी० व खेसरा नया–1359, रकवा–5 डी० चला आ रहा है व सरकार द्वारा बिहार काश्तकारी अधिनियम के तहत यह जमीन वादी के नाम औपबंधिक रूप से बंदोबस्त की गई है वो औपबंधित परवाना सं०–4/2000–01 निर्गत किया गया है।

निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में अंकित किया गया है कि *" आवेदक के पक्ष में बन्दोबस्त पर्चा दिनांक 24.09.2001 ई0 को निर्गत है एवं जिसमें आवंटित खेसरा 1649 में से रकबा 40 डी0 एवं आवंटित खेसरा 1339 में से रकबा 05 डी0 कुल रकबा 45 डी0 जिसका चौहद्दी उत्तरः मनैय पासवान दक्षिणः भागवत पासवान, पुरबः कन्दाहा सीमान, पश्चिमः फूसन पासवान वगैरह बन्दोबस्त परवाना में अंकित है। तदनुसार ही बन्दोबस्त जमाबन्दी नम्बर 74 कायम कर मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया है जो भू– स्वामित्व अभिलेख में एक साथ शामिल कर जमाबन्दी नं0 427 कुल जमा 1 एकड़ 89 डी0 भूमि का मालगुजारी रसीद निर्गत है।"*

यह भी अंकित किया गया है कि *"प्रतिवादी का आदेश बी0 टी0 एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत अंतिम खतियान प्रकाशन के उपरान्त प्राप्त किया गया आदेश है, जिसे पुनरीक्षण वाद से ही चुनौती दी जा सकती है।" जिसके लिए बिहार सरकार के प्रतिनिधि ही सक्षम अधिकारी हैं न कि आवेदक। चूँकि आवेदक को बिहार सरकार से ही बजरिये बन्दोबस्ती हासिल है एवं तदनुसार दखलकार है अस्तु ऐसे आदेश का कुछ भी पायबन्दी आवेदक पर नहीं बनता है।*

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिवेश परिपेक्ष्य में आवेदक का अंचल से प्राप्त बन्दोबस्ती परवाना के आधार पर प्रश्नगत खेसरा पर निर्विवाद अधिकार एवं दखल का प्रख्यापन किया जाता है।"

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन से परिलक्षित होता है कि निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में *रेस्पाण्डेन्ट/वादी के पक्ष में बन्दोबस्त पर्चा दिनांक 24.09.2001 ई० को निर्गत है, जिसमें आवंटित खेसरा 1649 में से रकबा 40 डी0 एवं आवंटित खेसरा 1339 में से रकबा 05 डी0 कुल रकबा 45 डी0 जिसका चौहद्दी उत्तरः मनैय पासवान दक्षिणः भागवत पासवान, पुरबः कन्दाहा सीमान, पश्चिमः फूसन पासवान वगैरह बन्दोबस्त परवाना में अंकित है। तदनुसार ही बन्दोबस्त जमाबन्दी नम्बर 74 कायम कर मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया है जो भू–स्वामित्व अभिलेख में एक साथ शामिल कर जमाबन्दी नं० 427 कुल जमा 1 एकड़ 89 डी० भूमि का मालगुजारी रसीद निर्गत है।''* वर्णित स्थिति में *निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अस्तु* अपीलार्थी/प्रतिवादी का अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा